समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 07-01-2017 को मानव श्रृंखला पर आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को 21 जनवरी 2017 को आयोजित होने वाले मानव श्रृखंला हेतु निम्न निदेश दिये गये :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पहले जो है 46 कि0मी0 का सबरूट था। लेकिन अब मुख्य सचिव महोदय का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें मुख्य रूट के अलावा सबरूट की दूरी 186 कि0मी0 हो गयी है। राज्य स्तर से 186 कि0मी0 की दूरी निर्धारित कर दी गयी है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सबरूट बनाने में यह दूरी 186 कि0मी0 से भी अधिक जा सकता है। चूंकि जिले के सभी प्रखण्डों से होते हुए मानव श्रृंखला जोड़ा जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी से मानव श्रृंख़ला जोड़ने हेतु रूट की मांग की गयी।

(2) रूट चार्ट :-

मेन रूट एवं सबरूट के संबंध में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा निम्न प्रकार बताया गया :-

मेन रूट :-

- **चौसा** :- खलीफा टोला भागलपुर से भटगामा होते हुए लौआलगान - सहोरा टोला - चौसा - घोषई - कलासन - पुरैनी बोर्डर तक
- **पुरैनी** :- पुरैनी चौसा बोर्डर से बगराहा चौक होते हुए अम्बेदकर चौक - डुमरैल चौक - नरदह - योगीराज - पिन्टु यादव ईट भट्ठा उदाकिशुनगंज तक
- **उदाकिशुनगंज** :- पिन्टु यादव के ईट भट्ठा उदाकिशुनगंज से चन्द्रकान्ता कॉलेज होते हुए चौसा चौक - फुलौत चौक - विद्युत पावर हाउस - उदा बाजार - झलारी (ग्वालपाड़ा) सीमा तक।
- **ग्वालपाड़ा** :- झलारी वार्ड नं0-09 (उदाकिशुनगंज /ग्वालपाड़ा सीमा) से रतनमंडल के घर होते हुए ललन यादव के घर - बजरंगबली चौक - ग्वालपाड़ा प्रखण्ड कार्यालय होते हुए - शाहपुर नहर - टीका टोला - नवज्योति मिशन स्कूल (मेन रोड) होते हुए अरार पुल - झिटकिया नहर से रेशना होते हुए कमलपुर नहर - मुख्य बाजार होते हुए पतरघट (सहरसा सीमा) तक।

➢ **मधेपुरा** :– (1) भरत यादव का घर मधुबन पंचायत से बी0पी0 मंडल चौक होते हुए बेरवा सड़क मठाही तक।

➢ (2) भरत यादव के घर मधुबन पंचायत से बी0पी0 मंडल चौक होते हुए पथरहा (सिंहेश्वर) तक

➢ **सिंहेश्वर** :– पथराहा (मधेपुरा–सिंहेश्वर) होते हुए नारियल विकास बोर्ड – शर्मा चौक – दुर्गा चौक – राधाकृष्ण चौक – बाबा सिंहेश्वर कॉलेज – विश्वकर्मा चौक (सिंहेश्वर–गम्हरिया) तक।

➢ **बिहारीगंज :–** उदाकिशुनगंज से रजनी प्रसादी चौक तक।

➢ **मुरलीगंज :–** रजनी से मुरलीगंज होते हुए मीरगंज – नाढ़ी – कौशलपुर धार तक।

➢ **मधेपुरा :–** कौशलपुर धार से मधुबन चौक तक।

सबरूट :–

➢ **घैलाढ़** :– बेरवा सड़क (मधेपुरा–घैलाढ़) मठाही से पिपराही – पिपराही से सिमराही (मधेपुरा प्रखण्ड अन्तर्गत) भेलवा चौक – रतनपुरा – घैलाढ़ – विश्वकर्मा चौक जीवछपुर

➢ **गम्हरिया** :– विश्वकर्मा चौक जीवछपुर से भगवत्ती चौक होते हुए जागीर टोला सिंहेश्वर तक।

➢ **सिंहेश्वर** :– शर्मा चौक सिंहेश्वर से प्रखण्ड कार्यालय, सिंहेश्वर होते हुए रामपट्टी – कुम्हार टोला – पटोरी महादलित टोला – पटोरी यादव टोला से चौसार सड़क होते हुए शंकरपुर सड़क तक।

➢ **शंकरपुर** :– बिरैली चौक बाजार से जीरवा अरताहा – मौजमा चौक – मधैली – मधैली सायफन – बसंतपुर – बसंतपुर पुल – बसंतपुर हाट – परिहारी मोड़ तक।

➢ **कुमारखण्ड** :– परिहारी मोड़ से रानीपट्टी – रौता – कुमारखण्ड – रहटा (कुमारखंड–मुरलीगंज) तक।

➢ **मुरलीगंज** :– रहटा (कुमारखण्ड–मुरलीगंज) से मीरगंज चौक (मुरलीगंज) तक।

➢ **बिहारीगंज :–** गमैल बोर्डर से किशुनगंज बाजार – चौसा चौक तक।

➢ **आलमनगर :–** आलमनगर से ढ़ीमावारसा – सोनवर्षा – करवागंज – सिंहार – मधैली – उदाकिशुनगंज तक

जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि उक्त मेनरूट /सबरूट में 200 मीटर के हिसाब से मानव श्रृंखला बनाने हेतु आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारी)

(3) वाहनों का अधिग्रहण :–

जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि उक्त कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में अपने–अपने प्रखण्ड /अंचल में ट्रेक्टर (चालक /ईंधन सहित) पहले से ही चिन्हित कर उपलब्ध रखेंगे।

(अनुपालन–सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारी)

(4) प्रत्येक किलोमीटर पर समिति का गठन :-

➢ जिलाधिकारी द्वारा हर किलोमीटर पर समिति गठित करने के संबंध में पृच्छा की गयी एवं निदेश दिया गया कि अविलम्ब समिति का गठन करें एवं अनुपालन से अवगत करावें।

➢ जिलाधिकारी द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि प्रखण्ड स्तरीय सभी पदाधिकारी यथा- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी /बाल विकास परियोजना पदाधिकारी /कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा /प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी /प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी /प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी /प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी /प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी /सभी थानाध्यक्ष /सभी प्रखण्ड स्तरीय कनीय अभियंता /स्वच्छ भारत मिशन के प्रखण्ड स्तरीय समन्वयक /पैक्स अध्यक्ष /कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय के वार्डेन /शिक्षिका /संचालक /जीविका आदि का यह दायित्व होगा कि पंचायतवार मैप तैयार करवाने में अपेक्षित सहयोग करेंगे तथा उक्त निर्धारित तिथि के अंदर तैयार मैप समर्पित करेंगे। साथ ही अपने-अपने अधीनस्थ कर्मियों को यथानिदेशित कार्य हेतु अपने स्तर से संसूचित करेंगे।

(अनुपालन-सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारी)

(5) वातावरण निर्माण :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मानव श्रृंखला हेतु वातावरण निर्माण करने के लिए वार्ड सदस्य, प्रमुख, सभी पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, न्यायमित्र आदि के साथ रूट के हिसाब से बैठक करने का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी को दिया गया।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम अन्तर्गत पांच बिन्दुओं पर कार्यक्रम करना है, जो इस प्रकार है :-

(i) मानव श्रृंखला हेतु वातावारण का निर्माण करना।

(ii) हर 200 मीटर पर 01 कर्मचारी /पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करें, जो मानव श्रृंखला का अपने मोबाईल से फोटो भी खींचकर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

(iii) जो व्यक्ति (पुरूष /महिला) मानव श्रृंखला में भाग लेगा, उन सभी का सूची नाम सहित पूर्व से तैयार करके अचूक रूप से रखेंगे।

(iv) सम्पूर्ण कार्यक्रम का विडियोग्राफी कराया जाएगा।

इस संबंध में जितने भी बैठक सम्पन्न किये जा रहे है, बैठक की कार्यवाही /फोटो /विडियो संबंधित प्रखण्ड के अभिलेख में संधारित किया जाए।

(अनुपालन-सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारी)

(6) सांस्कृतिक कार्यक्रम :-

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, मधेपुरा तथा डी0पी0एम0, जीविका को निदेश दिया गया कि सांस्कृतिक मंडली को प्रत्येक किलोमीटर पर रखने का निदेश दिया गया, जो 21 जनवरी, 2017 को अपने-अपने निर्धारित स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। बताया गया कि प्रत्येक सांस्कृतिक मंडली (चार सदस्यीय) को इस कार्यक्रम के लिए 2,000/- (दो हजार) रू0 देने का भी प्रावधान किया गया है।

(अनुपालन-सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारी)

(7) प्रचार-प्रसार /कला-जत्था :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा मानव श्रृंखला के प्रचार-प्रसार के लिए पम्पलेट आदि लगवाने तथा समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति देने का निदेश जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को दिया गया।

➤ जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मानव श्रृंखला बनाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए के-यान, प्रभात फेरी, साईकिल एवं मोटर साईकिल रैली आदि निकालने का निदेश प्रखंड विकास पदाधिकारियों /अंचलाधिकारियों को दिया गया।

➤ जिलाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता को मानव श्रृंखला के आयोजन हेतु प्रचार-प्रसार कराने के लिए 15 जनवरी, 2017 से ही कला जत्था के सदस्यों को लगाने का निदेश दिया गया। इसके लिए हैण्ड बिल छपवाने का निदेश दिया गया, जिसमें निवेदक में पंचायत समिति के सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्य, प्रमुख, जिला परिषद् सदस्य, आदि जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्त्ताओं का नाम रहे, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिया गया।

(अनुपालन-सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारी)

(8) पेयजल की व्यवस्था :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा मानव श्रृंखला में भाग लेने वाले सदस्यों को पानी पिलाने हेतु व्यवस्था करने का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी /कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा को दिया गया।

(अनुपालन-सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारी)

(9) यातायात व्यवस्था :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 20 जनवरी की रात से ही बड़ी गाड़ी यथा-बस, टक, टेम्पो, जीप आदि का परिचालन पूर्णरूपेण बंद रहेगा। जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 21 जनवरी को मानव श्रृंखला वाले रूट में केवल एम्बुलेंस एवं प्रशासनिक गाड़ियों का ही परिचालन होगा।

(अनुपालन-सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारी)

(10) चिकित्सा व्यवस्था :-

मानव श्रृंखला वाले रूट में एम्बुलेंस आदि सहित मेडिकल टीम लगाने हेतु सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निदेशित करने हेतु सिविल सर्जन, मधेपुरा को निदेश दिया गया।

(अनुपालन-सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारी)

(11) व्हाट्सअप ग्रुप :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का अलग-अलग व्हाट्सअप ग्रुप बनाने, जिसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी ही ग्रुप एडमिन होगें। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी अपने स्तर से इस ग्रुप में लोगों को जोड़ सकते है, का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारी)

(12) सुरक्षा व्यवस्था :-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि सभी थानाध्यक्ष के साथ बैठक की गयी है। सभी पुलिस पदाधिकारी /चौकीदार /सिपाही प्रत्येक किलोमीटर को कवर करेंगे। यह भी बताया गया कि बैरियर का स्थल चिन्हित कर बैरियर लगाया जाए, ताकि उसी अनुरूप बैरियर पर पुलिस पदाधिकारी /बल की प्रतिनियुक्ति की जा सके।

जिलाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि अपने स्तर से सभी संबंधित थानाध्यक्षों को निदेशित किया जाए कि वे निर्धारित स्थल पर बैरियर लगाकर संसूचित करें। उक्त बैरियर हेतु होने वाले संभावित व्यय की राशि नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाएगी।

(अनुपालन-सभी प्रखण्ड विकास पदा0 /अंचलाधिकारी /सभी थानाध्यक्ष /सभी संबंधित पदा0)

(13) अन्यान्य :-

➢ जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज को प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज के साथ समन्वय कर अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

➢ जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को मानव श्रृंखला के आयोजन में व्यय होने वाले अनुमानित राशि की अधियाचना देने का निदेश दिया गया।

➢ जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अगर मौसम साफ रहा, तो कक्षा-01 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थी मानव श्रृंखला में भाग लेंगे, नहीं तो मौसम खराब रहने पर कक्षा-05 से कक्षा-12 के विद्यार्थी मानव श्रृंखला में भाग लेंगे, जिसे संबंधित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

➢ जीविका, आंगनवाड़ी, महिला पर्यवेक्षिका, जन वितरण प्रणाली के लाभुक, पेंशन प्राप्त करने वाले लाभुक, मनरेगा, पैक्स, कोशी पुनर्वास, साक्षरता, किसान सलाहकार, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, तालिमी मरकज, टोला स्वयंसेवक, विकास मित्र, बिहार सन्निर्माण कर्मकार कल्याण समिति अन्तर्गत निबंधन किए गए श्रमिकों, स्वच्छ भारत मिशन के लाभुक /समन्वयक /ममता / आशा कार्यकर्त्ता आदि लाभुक को मानव श्रृंखला में जोड़ना है।

(अनुपालन-सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारी)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

9/1/17 9.1.17 9/1/17

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा।

जिलाधिकारी, मधेपुरा।

ज्ञापांक....47........../गो0, मधेपुरा, दिनांक....09.01.2017....

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा /पुलिस उप-महानिरीक्षक, कोशी प्रक्षेत्र, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, भागलपुर, पूर्णियाँ, सुपौल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा/ उप विकास आयुक्त, मधेपुरा/ सिविल सर्जन, मधेपुरा/ अनुमण्डल पदाधिकारी /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), मधेपुरा /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /मोटरयान निरीक्षक, मधेपुरा /भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न /सारक्षता /आर0एम0एस0ए0 /सर्वशिक्षा /जिला

कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /नगर पंचायत, मुरलीगंज /सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /सभी अंचलाधिकारी /सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी /सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी /सभी थानाध्यक्ष /सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा /सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी /सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मधेपुरा जिला /सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

9/1/17
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा

9.1.17
पुलिस अधीक्षक,
मधेपुरा।

9/1/17
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

09/01/2017

9/1/17